डिगरी व मुकदमे इब्तदाई

(ओ. 20 ए. 6–7 जाब्ता दीवानी)

(Civil procedure Code Appendix 'D'-1)

अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम **बाडी जिला धौलपुर (राज0)**

श्री जी0एल0 मीना (R.A.S.)

1. गुड्डीदेवी उम्र 30 पर्ष पत्नी रामप्रकाश जाति मीना निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी

बनाम

1. मंगलसिंह पुत्र गंगाधर जाति मीणा निवासी ग्राम हांसई तह0बाडी
2. महेश पुत्र रामपुरी जाति गुसांई निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी
3. रामअवतार पुत्र रामपुरी जाति गुसांई निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी
4. माताप्रसाद पुत्र भगवानसिंह जाति गुसांई निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी
5. रामकली बेबा ल्होरे जाति गुसांई निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी
6. रामनरेश पुत्र ल्होरे जाति गुसांई निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी
7. मैनेजर पंजाब नेशनल बैक शाखा बाडी
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाडी

दावा दावत

मुकदमा नं. **129/2012**

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई स्वंय

व हाजरी **श्री बनवारीलाल शर्मा एड0** मिनजानिब मुद्दई **श्री अशोक शर्मा एड0**

मिनजानिब मुख्यलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है

दावा वादीया तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिकी किया जाकर वादीया व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार ग्राम हांसई में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. गुड्डीदेवी पत्नी रामप्रकाश जाति मीना सा0देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
872/1	0–03	चा0दो0	0.85

2. मंगलसिंह पुत्र गंगाधर हि0 1/3 व महेश, रामअवतार पुत्रगण रामपुरी हि0ब0 1/3 व माताप्रसाद पुत्र भगवानसिंह हि0 1/6 व रामकली बेबा ल्होरे, रामनरेश पुत्र ल्होरे जाति गुसांई हि0 1/6 सा0देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
872/2	0–09	चा0दो0	2.57

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। रहन का इन्द्राज यथावत रखा जावे। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिकी का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि बाद बंटवारा वादीगण के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें।

उपखण्डाधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

नाम .... मुबलिग.................... बाबत ....खर्चा इस मुकद्दमे के मय सूद व शहर ....
फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयावी तक .... को अदा करें।

वसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 06 माह 06 साल 2016 को जारी की गई।

दस्तखत ....

ओहदा उपखण्ड अधिकारी बाडी

मुहर

उपखण्ड अधिकारी
बाडी (धौलपुर) राज

मुद्दई	रूपया	न.पै.	मुद्दायला	रूपया	न.पै.
स्टाम्प मरजीदावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अरजी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील) रू0		
महनतनामा वकील) रू0			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
बालत इजराय हुक्मनामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

नोट इस फार्म पर कुल खर्चा हर रो फरीकेन का वाहे डिग्री के जरिये दिखाया गया हो या/नही खर्च करना चाहिये।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाडी जिला – धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – श्री जी0एल0 मीना (आर0ए0एस0)

उनवान

गुड्डी देवी **बनाम** मंगलसिंह

1. गुड्डीदेवी उम्र 30 पर्ष पत्नी रामप्रकाश जाति मीना निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी
वादीया :–

बनाम

1. मंगलसिंह पुत्र गंगाधर जाति मीणा निवासी ग्राम हांसई तह0बाडी
2. महेश पुत्र रामपुरी जाति गुसांई निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी
3. रामअवतार पुत्र रामपुरी जाति गुसांई निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी
4. माताप्रसाद पुत्र भगवानसिंह जाति गुसांई निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी
5. रामकली बेबा ल्होरे जाति गुसांई निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी
6. रामनरेश पुत्र ल्होरे जाति गुसांई निवासी ग्राम हांसई तह0 बाडी

प्रतिवादीगण :–

7. मैनेजर पंजाब नेशनल बैक शाखा बाडी
8. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार बाडी

तरतीवी प्रतिवादीगण :–

उपस्थित वादी के वकील – श्री बनवारीलाल शर्मा एड0
उपस्थित प्रति0 के वकील – श्री अशोक शर्मा एड0

दावा अन्तर्गत धारा 53, 188 रा0का0 अधि0

दिनांक :– 06.06.2016

दावा सं. 129/2012

निर्णय

वादीया द्वारा उक्त उनवान का दावा पेश कर निवेदन किया है कि :–

आराजी ख0नं0 872 रकवा 12 विस्वा बांके ग्राम हांसई तह0 बाडी जिला धौलपुर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी में वादीया 1/4 हिस्से की व प्रति0 सं0 1 हि0 1/4 व प्रति0 सं0 2 व 3 हि0 1/4 एवं प्रति0 सं0 4 हि0 1/8 व प्रति0 सं0 5 व 6 हि0 1/8 के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित आराजी का अभी तक वादीया एवं प्रति0 के मध्य कोई बंटवारा नहीं हुआ है। इसलिए शामिल काश्त करने में काफी परेशानी होती है। दिनांक 10.12.2012 को प्रति0 ने जाहिर किया कि वादीया को विवादित आराजी पर संयुक्त रूप से काश्त नहीं करने देंगे व बंटवारा नहीं करेंगे। प्रति0 अकेले काश्त करेंगे एवं बिना बंटवारा कराये विवादित आराजी को किसी चलाव वाले बदमाश व्यक्ति को रहन वय कर देंगे। इसलिए वादीया को अब यह आवश्यक हो गया है कि वादीया विवादित आराजी में प्राप्त अपने 1/4 हिस्से का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कराये तथा प्रति0 को जरिये हुक्म इम्नताई दवामी से पावन्द कराये कि प्रति0

उपखण्डाधिकारी

वादीया को काश्त करने से नहीं रोकें, न ही वादीया की फसल को नष्ट करें। ना बिना बंटवारा कराये विवादित आराजी को कहीं भी हस्तान्तरित करें तथा वादीया के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत बेजा न करें। यदि प्रति0 को पावन्द नहीं किया गया तो वादीया को ऐसी क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार के हर्जे से संभव नहीं हो सकेगी।

इस प्रकार दावा में वादीया ने निवेदन किया कि :—

विवादित आराजी में वादीया के 12/4 हिस्से का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस कराया जावे व प्रथक से लगान व खाता कायम कराया जावे। वादीया के हिस्से में आई आराजी पर वादीया को एकाधिपत्य कब्जा कराया जावे। राजस्व रिकार्ड इन्द्राज कराया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जावे कि प्रति0 वादीया के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की मजाहमत व मदाखलत नहीं करें और वादीया को काश्त करने से नहीं रोकें। ना ही दौराने दावा प्रति0 विवादित आराजी को किसी भी दीगर जगह पर हस्तान्तरित करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रति0 सं0 2 लगा0 4 व 6 वावजूद सूचना न्यायालय में अनुपस्थित आये। अतः उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रति0 सं0 1 व 5 द्वारा जवावदावा प्रस्तुत कर दावे में अंकित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए विशेष कथन में अंकित किया है कि :—

विवादित आराजी व अन्य आराजी ख0नं0 908, 875, 880, 881, 849, 870, 903, 913, 905 का पूर्व में एक ही खाता था तथा विवादित आराजी व अन्य आराजी के एक ही परिवार के लोग खातेदार थे। जिन्होंने विवादित आराजी और अन्य आराजी का वाहमी बंटवारा करीब 50 साल पूर्व कर लिया था और मौके पर अलग अलग मेड डालकर अलग अलग रूप से काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे थे। प्रति0 उत्तरदाता सं0 1 ने विवादित आराजी व अन्य आराजी में पूर्व खातेदार केदार, सुरेश्ज्ञ, चंदन, मंगलिया का 1/4 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड वयनामा क्रय कर लिया तथा वाहमी बंटवारे के अनुसार पूर्व खातेदार के स्थान पर कब्जा प्राप्त कर लिया। प्रति0 उत्तरदाता ने विवादित आराजी को लागत लगाकर तथा एकसार कर उपजाऊ बनाया है तथा उसमें एक बोरिंग भी कराया है। वादीगण ने विवादित आराजी जिन पूर्व खातेदारों से खरीदी थी उनका कब्जा दूसरे नम्बरों पर था और पूर्व खातेदारों ने वादीगण को कब्जा अपने स्थान पर दिया था। लेकिन खाता शामिल होने एवं प्रति0 की अच्छी जमीन को हडपने के उद्देश्य से वादीगण ने यह वाद गलत रूप से पेश किया है तथा पूर्व खातेदारों को भी इस प्रकरण में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया है। उनको बिना पक्षकार बनाये दावे की वस्तुस्थिति को समझना मुश्किल है। विवादित आराजी में जो प्रति0 सं0 4 माताप्रसाद का हिस्सा था उसका विक्रय प्रति0 सं0 4 के सरपरस्त पिता भगवानसिंह ने जरिये रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 01.08.90 को केदार पुत्र गंगा निवासी मठ हांसई को कर दिया है और माताप्रसाद वाले 1/4 हिस्से पर केता केदार काश्त कर रहा है। जिसे उक्त वाद में पक्षकार नहीं बनाया गया है। जो प्रकरण के लिए आवश्यक पक्षकार है। जिसके अभाव में दावा वादीया चलने योग्य नहीं है। विवादित आराजी के सम्बन्ध में एक वाद माताप्रसाद की ओर से न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश (क0ख0) बाडी के यहां उनवानी माताप्रसाद बनाम केदार के नाम से विचाराधीन है। क्योंकि उक्त वाद में केदार व माताप्रसाद के हक तय होने है। इसलिए उक्त वाद के

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज

चलते हुए यह वाद धारा 10 सीपीसी के तहत स्टे किये जाने योग्य है। विवादित आराजी का मौके पर करीब 50 सालों से वाहमी बंटवारा हो रहा है और वाहमी बंटवारे के मुताबिक अलग अलग काश्त हो रही है। इसलिए विवादित आराजी का पुनः बंटवारा कराया जाना कतई न्यायोचित नहीं है। प्रति0 सं0 4 माताप्रसाद ने प्रति0 सं0 5 के खिलाफ विवादित आराजी और अन्य आराजी के सम्बन्ध में एक दावा माताप्रसाद बनाम रामकली के नाम से अन्तर्गत धारा 188 के तहत न्यायालय श्रीमान के यहां पेश किया था। न्यायालय श्रीमान द्वारा उक्त वाद का निर्णय कर माताप्रसाद का दावा खारिज कर दिया था।

अतः दावा वादीया मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

तत्पश्चात पत्रावली कोर्ट कैम्प लखेपुरा में रखी गई। जहां पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया तथा वादीया को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबन्दी में वादीया प्रति0 के साथ ही सह खातेदार है। रा0का0अधि0 के मुताबिक प्रत्येक सह खातेदार अपनी सह खातेदारी की प्रत्येक इंच जमीन का मालिक होता है जब तक कि उसका बंटवारा न हो जाये। वादीया एवं प्रति0 द्वारा क्रय की गई आराजी का पूर्व खातेदारों के मध्य वाहमी बंटवारा हो सकता है। परन्तु जब तक रिकार्ड में बंटवारा अंकित न हो जाये बंटवारा नहीं माना जा सकता है। इसके अलावा प्रति0 द्वारा अपने जवावदावा में अंकित किया है कि एक दावा न्यायालय श्रीमान सिविल न्यायाधीश (क0ख0) बाडी के यहां उनवानी माताप्रसाद बनाम केदार के नाम से विचाराधीन है। जिसके चलते यह दावा धारा 10 सीपीसी के तहत स्टे योग्य है तो उक्त के सम्बन्ध में यह है कि उक्त वाद मात्र बंटवारे का है जिसमें वादीया का हिस्सा अलग किया जाना है। अतः उस दावे का इस दावे पर कोई असर नहीं है। साथ ही पूर्व खातेदारो को नियमानुसार वाद में पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जा सकता है। क्योंकि पूर्व खातेदारों के नाम राजस्व रिकार्ड में नहीं है। वाद में केवल उन्ही पक्षकारों को पक्षकार मुकदमा बनाया जा सकता है जिनके नाम राजस्व रिकार्ड में हों। इस तरह प्रति0 द्वारा दी गई सभी दलीलें न्यायोचित नहीं है। जबकि वादीया प्रश्नगत आराजी में सहखातेदार होने की हैसियत से बंटवारा कराने की मुश्तहक है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य पाया जाता है। कोर्ट कैम्प लखेपुरा में ही तहसीलदार बाडी से मौके के अनुसार कुर्रेजात मंगाये गये। तहसीलदार बाडी द्वारा प्रश्नगत आराजी में से वादीया का हिस्सा अलग व प्रति0 का हिस्सा अलग कर मौके पर ही कुर्रेजात तैयार कर प्रस्तुत किये। तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव एवं पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का पुनः अवलोकन किया गया। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर वादीया का वाद अन्तिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः दावा वादीया तहसीलदार बाडी से प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव के आधार पर निम्नानुसार अन्तिम डिक्री किया जाकर वादीया व प्रति0 के नाम तदनुरूप रिकार्ड पटवार ग्राम हांसई में खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है।

1. गुड्डीदेवी पत्नी रामप्रकाश जाति मीना सा0देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
872/1	0–03	चा0दो0	0.85

उपखण्डाधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज.

2. मंगलसिंह पुत्र गंगाधर हि0 1/3 व महेश, रामअवतार पुत्रगण रामपुरी हि0ब0 1/3 व माताप्रसाद पुत्र भगवानसिंह हि0 1/6 व रामकली बेबा ल्होरे, रामनरेश पुत्र ल्होरे जाति गुसांई हि0 1/6 सा0देह खातेदार

खसरा नं0	रकवा	किस्म	लगान
872/2	0–09	चा0दो0	2.57

उक्तानुसार बंटवारे के पृथक पृथक खाते व लगान कायम कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दर्ज किये जावें तथा नक्शा अक्श में नियमानुसार तरमीम कर पृथक पृथक खसरा नम्बर डाले जावें। रहन का इन्द्राज यथावत रहेगा। विभाजन प्रस्ताव व नक्शा अक्श डिक्री का जुज रहेगा। मुद्रांक कर अधिनियम के शेड्यूल व आर्टीकल 42 के तहत मुद्रांक जमा कराया जावे। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि बाद बंटवारा वादीगण के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें। प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि बाद बंटवारा वादीगण के हिस्से में आई आराजी में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न करें। निर्णय के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी की जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय लिखाया जाकर कोर्ट कैम्प लखेपुरा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी

उपखण्ड अधिकारी
बाड़ी (धौलपुर) राज